भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5466

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम

5466. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण तथा जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार अक्सर सूखे या बाढ़ का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का गंगा नदी की तर्ज पर अन्य नदियों के पुनरुद्धार हेतु किसी योजना का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए मार्च 2021 तक वर्ष 2014-15 के लिए में नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था और इसे आगे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, जनवरी 2025 तक, 40,121.48 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कुल 492 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 307 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और परिचालित हो गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की है। सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2015 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर गंगा नदी पर प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) इस प्रकार हैं:

क. उत्तराखंड में, हरिद्वार से सुल्तानपुर- प्राथमिकता श्रेणी V

ख. उत्तर प्रदेश में, कन्नौज से वाराणसी - प्राथमिकता श्रेणी III

ग. बिहार में, बक्सर से भागलपुर - प्राथमिकता श्रेणी II

घ. पश्चिम बंगाल में, त्रिवेणी से डायमंड हार्बर - प्राथमिकता श्रेणी V

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2022 (2019 और 2021 की डेटा) में किए गए आकलन के अनुसार, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। गंगा नदी पर प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) इस प्रकार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदूषित खंड में नहीं आता है;
ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से ग़ाज़ीपुर - प्राथमिकता श्रेणी V;
ग. बिहार में बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के पास- प्राथमिकता वर्ग IV;
घ. झारखंड प्रदूषित खंड में नहीं आता है;
ङ. पश्चिम बंगाल में, बहरामपुर से हल्दिया - प्राथमिकता श्रेणी IV.

इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन का मान, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए संतोषजनक है।

(ग): राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए, भारत सरकार ने सिंचाई में प्रौद्योगिकीय प्रगति को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

जीआईएस/उपग्रह आधारित निगरानी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), पाइप सिंचाई नेटवर्क, एससीएडीए आधारित जल वितरण, सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे प्रौद्योगिकीय उपाय और नवीन उपायों ने सिंचाई परियोजनाओं के परिणाम और कार्यान्वयन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्लू) वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। पीडीएमसी में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत लागू किया जा रहा है।

- सूक्ष्म सिंचाई से जल की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत में कमी तथा किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है।
- सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से तथा अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

(घ): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 99 परियोजनाएं और 7 चरण (कुल-106) चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी के बाद, सूखाप्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली चार और परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिससे विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके।

इसके अलावा, भारत में जल की कमी वाले सूखाप्रवण क्षेत्रों और बाढ़प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के मुद्दे का समाधान करने के लिए, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के चयन के मानदंडों और केंद्रीय वित्त पोषण अनुपात में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी परियोजना का 50% से अधिक कमांड सूखाप्रवण या बाढ़प्रवण क्षेत्र में है, तो 50% अग्रिम चरण के मानदंडों में ढील दी गई है और परियोजना को निर्माण की शुरुआत से ही शामिल किया जा सकता है, जिसमें सूखा/बाढ़प्रवण क्षेत्र में आने वाले कमांड क्षेत्र के अनुपात में 60 (केंद्र): 40 (राज्य) का बढ़ा हुआ वित्त पोषण अनुपात है।

बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया।

(ङ): नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत गतिविधि है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक बहि:स्रावों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना, और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को संपूरित कर रही है।

******